न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–09 / 2010–11

श्री मदन लाल –बनाम– सरकार आदि

कोरम :
1.श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0,अध्यक्ष
2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता :
प्रार्थी की ओर से : श्री अमरनाथ कटारिया।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत द्वितीय अपील संख्या–38 / 1973–74 मुन्ना लाल आदि बनाम सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 29–08–1997 के पुनर्विलोकन के लिए दिनांक 05–03–2001 को सर्किट कोर्ट, नैनीताल में प्रस्तुत किया गया।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी मुन्ना लाल द्वारा यू0पी0 टेनेन्सी एक्ट की धारा–59 के अन्तर्गत एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, काशीपुर के न्यायालय में योजित किया गया जो आदेश दिनांक 11–12–1961 से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व वादी द्वारा आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल में प्रथम अपील योजित की गई जो आदेश दिनांक 28–03–1974 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 13–08–1976 से स्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट योजित की गई जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 13–08–76 निरस्त कर पुनः प्रकरण राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। पुनः मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 29–08–1997 से द्वितीय अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व प्रतिवादी मदनलाल द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र 05–03–2001 को सर्किट कोर्ट, नैनीताल में प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07–09–2007 से यह कहते हुये कि एकल सदस्य को अपने सिवाय परिषद या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित आज्ञप्ति या आदेश को परिवर्तित करने या उलटने का अधिकारी नहीं है, अतः इस प्रकरण को भी अन्य प्रकरणों के साथ खण्ड पीठ में सुनवाई हेतु रखा जाय।

प्रकरण में अन्य माध्यमों के अतिरिक्त प्रकाशन के माध्यम से भी प्रतिपक्षीगण पर नोटिस तामीली हेतु प्रकाशित किया गया बावजूद इसके प्रतिपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

आज पुनर्विलोकनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उनका तर्क था कि मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जो निर्णय दिनांक 29–08–97 को दिया गया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है क्योंकि राजस्व परिषद में पक्षकार द्वारिका प्रसाद एवं शिवदयाल की ओर से जो वकालतनामा श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा का 27–12–96 को प्रस्तुत किया गया है वह फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो कि मृत व्यक्तियों का है। द्वारिका प्रसाद की मृत्यु दिनांक 02–09–91 को हो चुकी है जबकि वकालतनामा दिनांक 27–12–96 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार मृतक व्यक्ति के विरूद्व डिक्री पारित की गई है जो कि गैर कानूनी एवं अविधिक है।

इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का एक तकनीकी पहलू है जो कि पूर्व राज्य उत्तर प्रदेश के सन् 2000 में क्रमशः उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के रूप में विभाजन से जनित है। उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम–2000 की धारा–91 के अन्तर्गत लम्बित न्यायिक कार्यों के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान हैं:–

धारा–91 Transfer of pending proceedings-

(1) Every proceeding pending immediately before the appointed day before a court (other than High Court), tribunal, authority or officer in any area which on that day falls within the State of Uttar Pradesh shall, of it is a proceeding relating exclusively to the territory, which as form that day are the territories of Uttaranchal State, stand transferred to the corresponding court, tribunal, authority of officer of that State.

वर्तमान प्रकरण में निहित द्वितीय अपील में अन्तिम आदेश दिनांक 29–08–1997 को पारित कर दिया गया है। तद्नुसार उक्त धारा के अन्तर्गत द्वितीय अपील की कार्यवाही लम्बित कार्यवाही के श्रेणी में नहीं आती है, जबकि लम्बित कार्यवाही ही इस न्यायिक मंच को स्थानान्तरित हो सकती थी। तद्नुसार हमारी राय में पुनर्विलोकन प्रार्थी को मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के समक्ष ही पुनर्विलोकन का आवेदन करना चाहिए था। यदि पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर लिया जाता तथा द्वितीय अपील पुनर्जीवित हो जाती तो उसी स्थिति में द्वितीय अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित हो सकती थी। तद्नुसार यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अग्राह्य है।

दूसरा पहलू यह है कि कथित मृतक द्वारिका प्रसाद के साथ ही उसके पुत्र शिवदयाल व मदनलाल को भी पक्षकार(उत्तरदाता) बनाया गया है। तद्नुसार यदि द्वारिका

प्रसाद की मृत्यु कथित रूप से 1991 में हुई है तो भी अपील चलाये जाने का अधिकार बना रहता है तथा सम्पूर्ण द्वितीय अपील उपशमित नहीं होती है। प्रश्न यह भी है कि मृतक के वारिसान ने अपील के लम्बित रहते उसके मृत्यु का संज्ञान मा0 राजस्व परिषद में क्यों नहीं कराया। तद्नुसार वे स्वंय निष्ठापूर्वक आचरण न करने के दोषी हैं। खैर जो भी हो, द्वितीय अपील का उपशमन द्वारिका प्रसाद के कथित रूप से मृतक होने की दशा में उसी के सापेक्ष होता था। द्वितीय अपील सम्पूर्णता में उपशमित नहीं होती थी।

तीसरा पहलू यह है कि पुनर्विलोकन प्रार्थी जो स्वंय उत्तरदाता थे ने अत्यधिक विलम्ब से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कोई पर्याप्त आधार नहीं दिया है। इस आधार से भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अग्राह्य है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 05–03–2001 निरस्त किया जाता है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 25.7.2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।